न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

सुरेश बनाम अजीज खाँ (वगैरा)

केस्स मुकदमा प्रा. पत्र 111-128 नं0 90 सन 2021

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म ...
19-7-21	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को समन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 27.8.21 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल	
27/8	उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 28.9.21 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल	
6/12/21	पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 केम्प ग्राम पंचायत टहेका मे पेश हुई प्रतिवादी 2,3,4,6 लगायत 10 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए जिसे शा.प. किये गये। वकील प्रार्थी विपक्षी सं. 1 व 5 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते है। अप्रार्थी गण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलाई जाने उपरान्त भी उपस्थित नही, उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट पेश हुई जिसे शा.प. किया गया। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा.प. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से कम हो। Signature Not Verified Digitally signed by Pooja Saxena Date: 2021.12.23 15:07:29 IST Reason: SelfAttested डा. पूजा सक्सेना उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021	प्रतिवादी सं. 1 व 5 के खिलाफ कार्यवाही नही चाहता

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

मुकदमा संख्या :- 90/21 प्रा०प०

1- श्री सुरेश S/o श्री सुवालाल तेली निवासी भीलवाड़ा तहसील - भीलवाड़ा प्रार्थी

बनाम

1- श्री अफजल खां S/o श्री आलम खां मुसलमान निवासी - ओवरब्रिज के पास माण्डल तहसील - माण्डल (मौका) (सहमति प्रा०पत्र सलग्न) --विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 6.12.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम......माण्डल......पटवार हल्का......माण्डल......तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं.......1837,......कुल किता ......01...... रकबा......0.1518......हेक्टेयर......—......स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी पुख्ता के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक......19.7.21......को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है । अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......माण्डल...... पटवार हल्का......माण्डल......तहसील मांडल में स्थित आराजी नं.......1837...... ......कुल किता......01......रकबा......0.1518......हेक्टेयर......—...... भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक......माण्डल......को ......500/-...... कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 15:07:29 IST
Reason: SelfAttested

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र